

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर

एफ 20(एनपी)/एनआरएचएम/एचआरडी/2016/1343


दिनांक : 30/12/2016

आदेश

एनएचएम के अन्तर्गत आने वाले समस्त राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के समस्त कैंडर के वे संविदा कार्मिक जिनको राज्य मुख्यालय/जोन मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय पर रिलोकेशन अथवा कार्य व्यवस्था के रूप में लगाने के आदेश मिशन निदेशक, एनएचएम अथवा परियोजना निदेशक, एनएचएम के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी/स्तर से जारी किये गये हैं, ऐसे समस्त संविदा कार्मिकों को तुरन्त प्रभाव से उनके मूल पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे।

ऐसे समस्त संविदा कार्मिकों को अपने मूल पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त करने के उपरान्त इनकी सूची राज्य स्तर पर प्रेषित करे। इन कार्मिकों द्वारा अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के उपरान्त ही इनके माह दिसम्बर 2016 के मानदेय का भुगतान किया जावे। इनके द्वारा अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने तक किसी भी स्थिति में इनके माह दिसम्बर 2016 के मानदेय का भुगतान नहीं किया जावे।

भविष्य में जिला स्तर पर यदि कोई तात्कालिक व्यवस्था हेतु अनुबंधित कार्मिकों का स्थान परिवर्तन किया जाता है तो यह मिशन निदेशक, एनएचएम की पूर्वानुमति से होगा।

  
(नवीन जैन)  
विशेष शासन सचिव  
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, एनएचएम, जयपुर।
5. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
6. निदेशक-जनस्वास्थ्य, मुख्यालय, जयपुर।
7. निदेशक-वित्त, एनएचएम, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक-चिकित्सा प्रशासन/ग्राम स्वास्थ्य/आरसीएच, मुख्यालय जयपुर।
9. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम, जयपुर।
10. स्टेट नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय कार्यक्रम-एनवीबीडीसीपी/आईडीएसपी/ आरएनटीसीपी/ एनएलईपी/ आईडीडीसीपी/एनपीसीएफ/एनपीसीडीसीएस/ एनपीएचसीई/एनटीसीपी/ एनपीपीसीडी/एनओएचपी/एनएमएचपी/एनपीसीबी, मुख्यालय, जयपुर।
11. अनुभाग अधिकारी-एचआर, एनएचएम, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले राजस्थान को पालनार्थ
14. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (हेल्थ), समस्त जिले।
15. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एनआरएचएम, समस्त जिले।
16. जिला नोडल अधिकारी, वर्णित राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, समस्त जिले।
17. समस्त संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को पालनार्थ।
18. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते समस्त संबंधितों को ई-मेल हेतु।

  
परियोजना निदेशक  
एनएचएम